INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

HARIOM VERMA
Stamp Vender
Licence No.- 15
E-Stamping Acc-ID UP-14556404
Kailashpuri, Agra

Certificate No.	:	IN-UP55080986815586T
Certificate Issued Date	:	03-Dec-2021 12:54 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14556404/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14556404003077904339787T
Purchased by	:	AMAN JAN SEWA SAMITI AGRA
Description of Document	:	Article 19 Certificate or other Document
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	AMAN JAN SEWA SAMITI AGRA
Second Party	:	UPRFSC
Stamp Duty Paid By	:	AMAN JAN SEWA SAMITI AGRA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाम्प पेपर अमन जन सेवा समिति /
जिला आगरा फाइल नं० ... 41325 के साथ संलग्न है।
[illegible] पत्र

प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सो[illegible]इटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
10/12/2021

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम – अमन जन सेवा समिति,
2. संस्था का पता – 37/338बी/19/7ए, जागेश्वर नगर, गली नं0–5 नगला पदी, दयालबाग आगरा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।
4. संस्था के उद्देश्य – संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य होंगे –

1. वास्वतिक जनजीवन में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं के व्यवहारिक वास्तविक प्रणाली और उपयोग, क्रियान्वयन तथा उन्हें जन–जन तक पहुँचाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है।
2. मादा भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए जन जागृति लाना।
3. वनस्पति एवं जड़ी बूटियों के विकास हेतु खेती पर उनके विपणन से सम्बन्धित कार्य करना।
4. देवीय आपदाओं से पीड़ित लोगों के पुनर्वास से सम्बन्धित कार्य करना।
5. नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, शिशु पोषण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय–समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।
6. नागरिकों में सामाजिक जनचेतना जागृत करना एवं विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स, कैंसर हैपिटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एवं मद्यनिषेध कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाना।
7. संस्था का उद्देश्य समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं निःशुज्क जागरूकता शिविरों, निःशुल्क स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र रक्षा कैम्पों, विचार गोष्ठियों, राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा बालश्रम, उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन, मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना।
8. देश विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से वित्तीय अनुदान, ऋण, सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना।
9. युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक विकास आपसी सद्भावना जैसे मूल्यों का विकास करना तथा उनके प्रचार–प्रसार सहयोग देना। राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के कार्यक्रमों के संचालन से सहयोग प्रदान करना।
10. युवाओं को उपभोक्ता फोरम जैसे अधिनियम की जानकारी देना व उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना व उन्हें निःशुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
11. ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशाला एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं शिक्षा संस्थानों, निःशुल्क औषधालयों का निर्माण व उसके संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा

1/12/2021

12. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली कच्चे–पक्के नालों का निर्माण एवं मार्ग को जोड़ने के लिए पुलों का निर्माण करना।
13. योग, प्राकृतिक तथा भारतीय पुरातन व नवीन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विभिन्न संक्रामक व असाध्य रोगों से नागरिकों को मुक्त कराने का प्रयास करना तथा शारीरिक शिक्षा केन्द्रों, योग साधना केन्द्रों निःशुल्क चिकित्सालय/औषधालय की स्थापना करना।
14. निराश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु समय–समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, ऑगनबाड़ी, बालबाड़ी, नारी निकेतन, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कला केन्द्रों व बाल श्रमिक बच्चों के उत्थान हेतु बाल श्रमिक विद्यालय की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना, सेवायोजकों द्वारा अल्पायु के बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में सेवायोजित न होने देना।
15. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी लगवाना, क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क, खडंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, निःशुल्क आश्रय स्थल की स्थापना/निर्माण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना।
16. कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुए उन्नत कृषि को बढ़ावा देना व उन्नत कृषि के बारे में किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण देना तथा किसानों में परस्पर सहयोग व एकता की भावना पैदा कर उन्नत कृषि को अपनाने पर बल देना, जैविक खाद के उपयोग, प्रचार प्रसार तथा किसानों को इसकी उपयोगिता के बारे में सभी प्रकार के निःशुल्क प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करना एवं किसानों की समस्याओं को सुलझाना व शासन–प्रशासन तक पहुँचाना।
17. पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिए प्रेरित करना एवं जगह–जगह वृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढ़ते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना।
18. ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क मुर्गीपालन, भेड़पालन, बकरीपालन, मत्स्यपालन, मौनपालन पशुपालन आदि को बढ़ावा देना तथा फ्लोरिकल्चर एवं अन्य उन्नतकृषि को बढ़ावा देना एवं कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा मशरूम की खेती व प्लान्टेशन कार्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर कर गॉवों का सर्वांगीण विकास करना।
19. पशुधन जानवरों के स्वास्थ्य, संरक्षण, संबर्द्धन का कार्य करना व बीमार पशुओं, वन्यजीवों के लिए निःशुल्क पशु चिकित्सालय, पशुशाला, गौ संवर्धन व संरक्षण करना व गौशाला की व्यवस्था करना एवं उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित तथा जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।
20. खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत फलों का संरक्षण प्रशोधन पैकिंग करना व खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को खाने योग्य बनाना व उनके विपणन की व्यवस्था करना तथा प्राप्त आय का संस्था के हितार्थ उद्दश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
10/12/21

21. खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रिजर्वेशन, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी सेरियली, प्रोसेसिंग, मॉस–मछली प्रसंस्करण, पोल्ट्री एवं एग प्रोसेसिंग, मशरूम स्पान प्रोसेसिंग, ऑयल सीड प्रोसेसिंग इत्यादि का संचालन करना।
22. जल प्रबन्धन, कृषि अभियन्त्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्राम उद्योग, यांत्रिक आविष्कार, अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य करना।
23. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अंधे, कुष्ठरोग व मूक वधिरों, विकलांगों व निराश्रित लाचार, वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना व बालाश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना।
24. विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं द्वारा जनता को जागरूक करना एवं बेरोजगार युवक–युवतियों एवं विविध अनार्थ परित्यक्ता महिलाओं एवं वृद्धजनों व अनाथ बच्चों को सुलभ तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर नागरिक बनाना।
25. उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना करना, चलाना व उसके शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था कर निर्धन युवक युवतियों व नागरिकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना।
26. अपराम्परिक ऊर्जा श्रोत संयंत्रों, गोबर गैस, सौर ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन एवं विकास करना।
27. अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विद्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्रों एवं विभिन्न प्रकार की तकनीकी केन्द्रों की स्थापना करना एवं संचालन करना। महिला विकास कार्यक्रम एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
28. महिलाओं को स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
29. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों जैसे– पल्स पोलियों, हैपेटाइटिस बी, कुष्ठ निवारण आदि कार्यक्रमों में सहयोग करना व पर्यावरण रक्षा शिविरों, जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।
30. देश हित में साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना तथा नागरिकों को जागरूक करने हेतु पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन व सम्पादन करना।
31. निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसैफ, इंडको, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्सा, नवार्ड, अवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण निधि महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन, हस्त शिल्प वस्त्र मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, राजीव गांधी फाउंडेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना ।

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

अमन जन सेवा समिति,
37/338बी/19/7ए, जागेश्वर नगर, गली नं0–5
नगला पदी, दयालबाग आगरा
प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची वर्ष–2024–25

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्रीमती विंकी शर्मा	श्री पुनीत शर्मा	37/338बी/19/7ए, जागेश्वर नगर, गली नं0–5, नगला पदी, दयालबाग आगरा	अध्यक्ष	स0सेवी
2–	श्रीमती कृतिका	श्री सुमित शर्मा	37/338बी/19/7ए, जागेश्वर नगर, गली नं0–5, नगला पदी, दयालबाग आगरा	उपाध्यक्ष	स0सेवी
3–	डॉ0 ज्ञानीराम शर्मा	स्व0 श्री सियाचरन शर्मा	37/338बी/19/7ए, जागेश्वर नगर, गली नं0–5, नगला पदी, दयालबाग आगरा	सचिव	स0सेवा
4–	श्री मनोज टण्डन	श्री एस0एस0 टण्डन	97 बसंत बिहार, आगरा	उपसचिव	स0सेवा
5–	श्री धर्मेश कुमार जाटव	स्व0 श्री चन्द्रभान	31/10ए नगला हरमुखा, लंगड़े की चौकी, आगरा	कोषाध्यक्ष	स0सेवी
6–	श्रीमती मालती शर्मा	श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा	एन0एच0–798 गली नं0–6 प्रेमनगर, जगादरी यमुना नगर, हरियाणा–135001	सदस्य	स0सेवी
7–	श्रीमती शान्ती शर्मा	श्री शिव ओम शर्मा	18 विजय कुंज कॉलोनी, 100 फुटा रोड, कालिन्दी बिहार, आगरा	सदस्य	स0सेवी

कृतिका विंकी शर्मा मालती शर्मा

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
20.04.24

<u>संशोधित नियमावली</u>

1. संस्था का नाम – अमन जन सेवा समिति,
2. संस्था का पता – 37/338बी/19/7ए, जागेश्वर नगर, गली नं0–5 नगला पदी, दयालबाग आगरा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण उ0प्र0 होगा।
4. संस्था के उद्देश्य – संस्था के उद्देश्य स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे ।
5. **संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग :–**

जो सज्जन इस संस्था के उद्दश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देंगे वे इस संस्था के सदस्य बनाए जा सकेंगे।

1. **संरक्षक सदस्य** :– जो सज्जन इस संस्था को 11,000/– (ग्यारह हजार रूपया) सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे अथवा संस्था सदस्य की सेवा भावना को देखते हुये इस राशि को कम भी करके लिया जा सकता है। वह सदस्य इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा ।
2. **आजीवन सदस्य** :– जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 21,000/– (इक्कीस हजार रूपया) सदस्यता शुल्क के रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य बनाये जायेंगे।
3. **साधारण सदस्य** :– जो सज्जन इस संस्था को प्रतिवर्ष 1,000/– रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्था के साधारण सदस्य बनाये जायेंगे।
4. **विशिष्ट सदस्य** :– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संसथा का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे, सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों एवं जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनित करेगी। ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे और इनकी स्वेच्छा से दिया गया दान, चंदा संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार नहीं होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की सख्या 5 से अधिक न होगी।

6. सदस्यता की समाप्ति :–

1. सदस्य की मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
2. आचरण भ्रष्ठ होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर।
3. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर।
4. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
5. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थिति रहने पर।
6. किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर।
7. सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिये जाने व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

7. संस्था के अंग :– **(अ)** साधारण सभा, **(ब)** प्रबन्धकारिणी समिति।

8. साधारण सभा :– **अ. गठन** :– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

ब. बैठकें :– साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलायी जा सकती है।

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
10/12/2021

स. **सूचना अवधि** :– साधारण सभा की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जायेगी।

द. **गणपूर्ति** :– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

य. **विशेष वार्षिक अधिवेषन की तिथि** :– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेषन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय की जायेगी।

र. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य** :–

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।
2. नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।
3. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर विचार–विमर्श कर उसे अस्वीकृत करना।

9. **प्रबन्धकारिणी समिति** :–

अ. **गठन** :– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से बहुमत से 7 सदस्यों को चुनकर किया जायेगा। प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष, एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

कार्यकारिणी समिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है जो कि कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी।

ब. **बैठकें** :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

स. **सूचना अवधि** :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जायेगी।

द. **गणपूर्ति** :– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

य. **रिक्त स्थान की पूर्ति** :– प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के 2/3 बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जायेगी।

र. **प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य** :–

1. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना।
2. नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कर उसके साधारण सभा में स्वीकृत कराना।
3. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, चन्दा, ऋण, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना।
5. सस्था के विकास हेतु जगह–जगह मण्डल व जिला स्तरों पर अपने शाखा कार्यालय स्थापित कर उनका संचालन करेगी तथा ऐसी शाखाओं के लिए

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

उपसमितियों का गठन करना व उनकी सेवा शर्त के नियम निर्धारित करना तथा कार्य पूर्ण होने व दोष पूर्ण कार्य करने पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उपकार्यकारिणी बनाना तथा उनके कोष पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उपकार्यकारिणी बनान तथा उनके कोष पर पूर्ण नियंत्रण रखना, क्षेत्रीय स्तर पर उपइकाइयों/उपसमितियों द्वारा कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन करना/कराना।

6. संस्था अपने विकास कार्यों के लिए सम्पत्ति का क्रय–विक्रय कर सकती है एवं बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती है व अपनी सम्पत्ति को बैंक में बन्धक रख सकती है।

ल– कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. अध्यक्ष

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
2. मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
3. संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना।

2. उपाध्यक्ष –

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना ।

2– सामान्य स्थिति में अध्यक्ष के कार्यों में उनका सहयोग करना।

3. सचिव

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना।
2. संस्था के कार्यकमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार–प्रसार करना।
3. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान–अनुदान, चंदा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना, प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना।
4. संस्था द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों, विद्यालयों की पूर्ण व्यवस्था व उसके लिए कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।
5. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैंकों, ड्राफ्टों, बन्धक विलेखों, बिल–वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
6. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
7. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना।

4. उपसचिव

1– संस्था के सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य करना, सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना।

5. कोषाध्यक्ष

1– संस्था के आय व्यय का लेखा–जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना।

2– संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान, अनुदान, चंदा आदि प्राप्त करना।

3– सचिव द्वारा स्वीकृत कायों को करना व बिल वाऊचरों का भुगतान करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

11. **संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन प्रकिया :–**

संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा0 रजि0 अधि0 की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा की 2/3 बहुमत से करना ।

12. **संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था :–**

संस्था का कोष किसी भी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

13. **संस्था का लेखा परिक्षण :–**

संस्था का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति किसी योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा।

14. **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :–**

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के सचिव द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. **संस्था के अभिलेख :–**

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. कैशबुक, रसीद बुक, एजेण्डा रजिस्टर
4. निरीक्षण रजिस्टर आदि।

16. **संस्था द्वारा लिये गये ऋण एवं उसकी जमानत के सम्बन्ध में :–**

संस्था द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी करने का सामूहिक व व्यक्तिगत तौर पर प्रबन्ध समिति के सभी सदस्यों पर होगा। यह दायित्व सदस्यों पर तब तक बना रहेगा जब तक कि ऋणदाता के पूर्ण ऋण की अदायगी न हो जाय चाहे भले ही सदस्य संस्था का प्रथक ही क्यों न हो गया हो।
ऋण के पक्ष में जमानत हेतु संस्था के निजी अचल सम्पत्ति का साम्यक बन्धक/बन्धक होगा यदि संस्था के पास अपनी निजी अचल सम्पत्ति नहीं है तो संस्था का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी अपनी निजी सम्पत्ति का बन्धक/साम्यक बन्धक कर सकेंगे।

17. **संस्था का विघटन :–**

यदि भविष्य में कभी संस्था का विघटन होता है तो संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

दिनांक –8/11/2021

सत्यप्रतिलिपि

मालती शर्मा

Banita Dixit

TGR

नित्यकिशोर शर्मा

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
10/12/2021